न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)
वइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 27/14/रिव्यू
जग्गूराम पुत्रश्री लालूराम जाति बलाई निवासी जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
—प्रार्थी

बनाम

1. मोहन
2. लूणा
3. हरला
पुत्रगण लालूराम जाति बलाई निवासीगण जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. ग्राम पंचायत, जाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, जाना तह0 दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

रिव्यू आवेदन आदेश 47 नियम 1 व 2 सीपीसी व 152 सीपीसी

उपस्थिति— 1. श्री अनिल शर्मा वकील प्रार्थी की ओर से

दिनांक— 14.03.2015

निर्णय

1. रिव्यू आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि विवादित कृषि भूमियां खसरा नं. 280 रकबा 1.26 है0, 281 रकबा 0.03 है0, 282 रकबा 0.04 है0, 283 रकबा 0.04 है0, 284 रकबा 4.15 है0, 384 रकबा 1.32 है0 एवं 284/748 किता 7 कुल रकबा 6.87 है0 वाके ग्राम जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है। उक्त विवादित आवेदन की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत का ना.करण प्रार्थी के अपने हिस्से पर वास्तविक नाम जग्गूराम के स्थान पर जगला व उसके पश्चात् रेवन्यू अधिकारियों की गलती से मंगला नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का अपने शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार नाम जग्गूराम है जिसकी अपील विरूद्ध ना.करण सं. 63 दिनांक 15.047.1973 की श्रीमान् के यहां प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय ख.नं. 284 रकबा 4.15 है0 व 384 रकबा 1.32 है0 का हवाला दिया जाना सहवन से रह गया था। चूंकि उक्त अपील प्रस्तुत करते समय प्रार्थी द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल लिया गया था उक्त खसरा नम्बरान का इन्द्राज मिलान क्षेत्रफल में नहीं था इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त अपील में उपरोक्त खसरा नं. का अंकन नहीं किया गया। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2013 को उक्त अपील का निस्तारण किया गया तो उक्त ख.नं. की कृषि भूमियों को इसमें शामिल नहीं किया जा सका। प्रार्थी की माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील सं. 13/13 दिनांक 15.05.2013 को स्वीकार की जाकर निर्णीत कर दिया गया है। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर प्रार्थी तहसीलदार महोदय व पटवारीके पास गया तो कृषि भूमि ख.नं. 280, 281, 282, 283, 284/748 में प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती जगला उर्फ मंगला के स्थान पर जग्गूराम कर दी गई है लेकिन ख.नं. 284 व 384 की कृषि भूमियों में प्रार्थी का सही नाम जग्गूराम नहीं किया गया और जगला उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner

मंगला ही उक्त कृषि भूमियों में नाम छोड़ दिया। जब प्रार्थी ने उक्त रेवन्यू अधिकारियों को सारी बात बताई और अपनी वृद्धावस्था तथा सुरक्षा सेवाओं से रिटायरमेंट होने की बात बताइ तो भी उक्त आधिकारियों ने प्रार्थी का सही नाम जगला उर्फ मंगला के स्थान पर जग्गूराम करने से मना कर दिया जिसकी सूचना प्रार्थी को पटवारी द्वारा दिनांक 14.06.2014 को दी गई। फिर प्रार्थी अपने अधिवक्ता से आकर संपर्क किया और रिकार्ड रूम से सही मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि ली और उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर प्रार्थी ने अपना रिव्यू आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः रिव्यू आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूयिां खसरा नं. 284 व 384 वाके ग्राम जाना में प्रार्थी का नाम की दुरूस्ती जगला उर्फ मगला के स्थान पर जग्गूराम किया जाकर दिनांक 15.05.2013 के आदेश में दुरूस्ती किया जाना प्रार्थनीय है।

2. रिव्यू आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान रिव्यू आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि सहवन से खसरा नं. 284 व 384 मिलान क्षेत्रफल में नहीं होने से सहवन से अपील में अंकन होने से रह गये जिसके कारण निर्णय दिनांक 15.05.2013 में भी अंकन होने से रह गये जबकि जमाबंदी में उक्त खसरा नं. का अंकन है। उक्त खसरा नं. 284 व 384 में प्रार्थी का नाम का दुरूस्ती फरमाया जावें।
4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. 91 वाके ग्राम जाना तहसील दांतारामगढ में विवादित खसरा नं. किता 7 कुल रकबा 6.87 है0 का उल्लेख है लेकिन मिलान क्षेत्रफल किता 5 का ही पेश किया गया था अब मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है उसमें सभी खसरा नं. किता 7 का अंकन है अपील मेमो में जमाबंदी में अंकित खसरा नं. 284 व 384 का अंकन होने से रह गया। ऐसी स्थिति में रिव्यू स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः रिव्यू आवेदन स्वीकार किया जाकर पूर्व में निर्णीत अपील मेमो सं. 13/2013 बउनवानी जग्गूराम बनाम मोहन आदि निर्णय दिनांक 15.05.2013 में जमाबंदी संवत् 2067–70 एवं मिलान क्षेत्रफल में वर्णित विवादित खसरा नम्बरों के अनुसार निर्णय दिनांक 15.05.2013 में विवादित खसरा नं. 280 ता 283, 284/748 किता 5 के साथ ही खसरा नं. 284 रकबा 4.15 व 384 रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम जाना तहसील दांतारामगढ में प्रार्थी का सही नाम जग्गूराम पुत्र लालूराम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष मुताबिक जमाबंद रहेगें। तहरीर जारी हो।
5. यह आदेश आज दिनांक 14.03.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner